भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2976

12.03.2021 को उत्तर के लिए

वन अग्नि निवारण और प्रबंधन योजना

2976. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

श्री राजेन्द्र धेड़्या गावित:

श्री बिद्‌युत बरन महतो:

श्री सुधीर गुप्ता:

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:

श्री चंद्र शेखर साहू:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार वन अग्नि निवारण और प्रबंधन योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत राज्यों को चिन्हित करने और केन्द्रीय सहायता के आवंटन के लिए तय किए गए मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(घ) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में उक्त योजना के अंतर्गत स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में विकसित अवसंरचना का कोई आकलन किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वार ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केन्द्र प्रायोजित दावानल नियंत्रण और प्रबंधन योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करके दावानल की रोकथाम और नियंत्रण में राज्य/संघ शासित प्रदेशों के प्रयासों को संपूरित करता है। योजना की मुख्य विशेषताएं अनुबंध-I में दी गई है।

(ग) इस योजना के तहत अस्थायी आवंटन अग्नि से शीघ्र प्रभावित होने वाले वन की स्थिति और प्रति व्यक्ति वन संसाधन उपलब्धता के आधार पर किया जाता है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान दावानल नियंत्रण और प्रबंधन योजना के तहत जारी निधियों का राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ड.) और (च) योजना के तहत अवसंरचना सृजन के लिए धनराशि प्रदान की जाती है अर्थात्‌ संचार प्रणाली, प्रबंधन सूचना प्रणाली का विकास, वॉच टॉवर, जल भंडारण संरचनाएं मंडल, और श्रेणी स्तर पर नियंत्रण कक्ष, एफजी बैरक और निरीक्षण हट्स आदि। राज्य सरकारें/केन्द्रशासित प्रदेश के प्रशासन मंत्रालय को उसके उपयोग प्रमाणपत्र और प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। 2020-21 में नीति आयोग द्‌वारा योजना का तृतीय पक्ष मूल्यांकन किया गया है।

****

अनुबंध-I

'दावानल नियंत्रण और प्रबंधन योजना' के संबंध में श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, श्री राजेन्द्र धेड्या गावित, श्री बिद्‌युत बरन महतो, श्री सुधीर गुप्ता, श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक और श्री चंद्र शेखर साहू द्‌वारा दिनांक 12.03.2021 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2976 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

1. इस योजना के तहत, विभिन्न दावालन नियंत्रण और प्रबंधन के उपायों जैसे कि वन क्षेत्रों में अग्नि रेखा का सृजन और रखरखाव, फायरमैन की नियुक्ति, वन क्षेत्रों में जल भंडारण संरचनाओं का निर्माण, वन संरचना को मजबूत करना, अग्निशमन उपकरणों की अधिप्राप्ति, उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में मिट्टी और नमी संरक्षण कार्य, जागरूकता सृजन, दावानल से सुरक्षा के लिए गांवों / समुदायों को प्रोत्साहित करने आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

2. दावानल नियंत्रण और प्रबंधन योजना के दीर्घकालिक उद्देश्यों में दावानल की घटनाओं को न्यूनतम करना और प्रभावित क्षेत्रों में वनों की उत्पादकता को बहाल करने में सहायता करना, वन सुरक्षा के लिए वन सीमांत समुदायों के साथ साझेदारी का संस्थानीकरण, पर्यावरण को स्थिर बनाए रखने के बड़े लक्ष्य में योगदान करना आदि शामिल हैं। योजना के लघु अवधि उद्देश्यों में दावानल के नियंत्रण के लिए प्रभावी जागरूकता अभियान चलाने, पारंपरिक प्रथाओं में सुधार करने और उपलब्ध आधुनिक तरीकों को लागू करने से प्रभावकारी दावानल निवारण और नियंत्रण वन क्षेत्रों में निर्धारित साधनों और तरीकों की सहायता से क्षेत्र स्टाफ और वन सीमांत समुदायों को उपर्युक्त अग्निशमन संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करना, दावानल की रोकथाम और नियंत्रण के लिए समुदाय के सहयोग को प्रोत्साहित करना आदि शामिल हैं।

3. राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों की विभिन्न श्रेणी के संबंध में वित्त पोषण पैटर्न निम्नानुसार है:

राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की श्रेणी	**केन्द्रीय हिस्सा**	**राज्य का हिस्सा**
केंद्र शासित प्रदेश	100%	0
उत्तर-पूर्वी राज्य, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के विशेष श्रेणी के राज्य	90%	10%
शेष राज्य	60%	40%

4. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार वार्षिक कार्य योजना (एपीओ) प्रस्तुत करते हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त एपीओ को जांच और अनुमोदन के लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रखा जाएगा।

5. स्वीकृत राशि का केंद्रीय हिस्सा दो किस्तों में जारी किया जाएगा। स्वीकृत केंद्रीय हिस्से का 80% मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ पहली किस्त के रूप में राज्य को जारी किया जाएगा। पहली किस्त के रूप में जारी केंद्रीय हिस्से के कम से कम 50% के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र और प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद , दूसरी किस्त जारी की जा सकती है।

अनुबंध-II

'दावानल नियंत्रण और प्रबंधन योजना' के संबंध में श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, श्री राजेन्द्र धेड्या गावित, श्री बिद्युत बरन महतो, श्री सुधीर गुप्ता, श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक और श्री चंद्र शेखर साहू द्वारा दिनांक 12.03.2021 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2976 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

सीएसएस के तहत जारी की गई निधियों का विवरण: एफपीएम

(लाख रू.में)

क्र.सं.	**राज्य**	2017-18 **जारी**	2018-19 **जारी**	2019-20 **जारी**
अन्य राज्य				
1	आंध्र प्रदेश	0.00	260.06	216.13
2	बिहार	75.00	57.17	208.16
3	छत्तीसगढ	168.00	104.60	392.07
4	गुजरात	75.00	92.16	183.92
5	गोवा	0.00	87.83	0.00
6	हरियाणा	75.00	0.00	49.26
7	हिमाचल प्रदेश	276.70	0.00	199.99
8	जम्मू और कश्मीर	75.00	0.00	0.00
9	झारखंड	105.00	107.84	222.02
10	कर्नाटक	105.00	174.70	136.75
11	केरल	234.53	279.57	256.80
12	मध्य प्रदेश	168.00	628.25	327.29
13	महाराष्ट्र	321.58	787.28	428.07
14	ओडिशा	168.00	435.00	463.84
15	पंजाब	75.00	0.00	13.56
16	राजस्थान	105.00	98.82	0.00
17	तमिलनाडु	105.00	0.00	154.82
18	तेलंगाना	105.00	0.00	0.00
19	उत्तर प्रदेश	75.00	100.61	97.63
20	उत्तराखंड	168.00	438.38	480.03
21	पश्चिम बंगाल	75.00	54.14	95.61
कुल		**2554.81**	**3706.41**	**3925.95**
उत्तर पूर्वी राज्य और सिक्किम				
1	असम	0.00	93.23	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	102.00	89.08	0.00
3	मणिपुर	110.00	230.54	55.34
4	मेघालय	219.88	113.53	73.94
5	मिजोरम	90.59	110.47	108.12
6	नगालैंड	92.56	83.12	79.95
7	सिक्किम	148.59	0.00	293.77
8	त्रिपुरा	66.00	109.73	103.43
	कुल	**824.25**	**829.70**	**714.55**
संघशासित प्रदेश				
1	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	9.00	26.41	0.00
2	चंडीगढ़	8.00	1.00	0.00
3	दादर व नगर हवेली	0.00	0.00	0.00
4	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00
5	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
6	नई दिल्ली	30.00	0.00	0.00
7	पुदुचेरी	30.00	49.84	0.00
	कुल	**77.00**	**77.25**	**0.00**
	कुल योग	**3456.06**	**4613.36**	**4640.50**

****